[2018] 9 एस. सी. आर 164

मदिराजु वेंकट रमण राजू

वी.

पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा।

(सिविल अपील सं। 9466-9468 2016 का)

21 मार्च, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। 83 और 100 (1) (ए) और (डी) (आई), 101 और 125 ए (आई)-अपीलार्थी ने प्रतिवादी नं. 1 उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका दायर करके

आरोप लगाते हुए कि प्रत्यर्थी नं। 1 चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन किया था। 1 , बदले में, दो आवेदन दायर किए और पैराग्राफ को खत्म करने की मांग की

2 & 9 चुनाव याचिका के 11 यू/या। VI, आर. 16 और निर्वाचन याचिका को यू/ओर सीमा में खारिज करना। VII, आर. 11, जिनमें से दोनों को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी-अपील पर-अभिनिर्धारित किया गया: उचित नहीं -

दो आवेदनों पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था-उसने योग्यता के आधार पर मामले के विश्लेषण के क्षेत्र में कदम रखा था-यह उस स्तर पर एक निषिद्ध क्षेत्र था - उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि चुनाव याचिका ने चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 के साथ या उसके बिना कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया-इस बारे में स्पष्ट अभिवचन था कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष क्या आपत्तियां ली गईं और वह प्रतिवादी नं. 1 - उक्त पैराग्राफ ने स्पष्ट रूप से तथ्यों का खुलासा किया, जो प्रतिवादी नं. 1 अनुचित स्वीकृति के कारण शून्य होने के रूप में

निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके नामांकन पत्र के बारे में-निर्वाचन याचिका के संबंधित पैराग्राफ में किए गए कथन तुच्छ और परेशान करने वाले नहीं थे-निर्वाचन याचिका की किसी भी हिस्से को घटाए बिना समग्र रूप से जांच करनी होगी -

यह विचार करना संभव नहीं है कि उसी ने कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया है इसलिए, विषय चुनाव याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिए गए-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या। VI, आर. 17 और या। VII, आर. 11-चुनाव कानून।

164 मदिराजु वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. यह अच्छी तरह से तय है कि चुनाव याचिका होगी

पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और वाक्य को विच्छेदित नहीं किया जा सकता है

बुद्धिमान या पैराग्राफ-यह निर्णय देना बुद्धिमानी है कि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है। कार्रवाई का कारण तथ्यों का एक समूह है जो वादी के लिए न्यायालय से राहत प्राप्त करने के लिए साबित करना आवश्यक हो सकता है। अपीलार्थी द्वारा दावा की गई राहतें अन्य बातों के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (आई) के आधार पर आधारित हैं। इससे और राहत मिली है। अपीलार्थी को 1951 के अधिनियम की धारा 101 के तहत निर्वाचित घोषित करने का दावा किया गया है। इसलिए, चुनाव याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण प्रत्यक्ष रूप से उन भौतिक तथ्यों के संदर्भ में था जो दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था। [पैरा 21] [187-डी-ई]

2. उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि चुनाव याचिका में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है या

चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 के बिना। वास्तव में, चुनाव याचिका की दलीलें सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए जिसमें आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक विवरण और विवरण होने चाहिए।

कानून द्वारा '। भौतिक तथ्यों का अर्थ होगा चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए राहत के संदर्भ में चुनाव याचिका में बताए गए आधारों के घटकों का गठन करने वाले सभी बुनियादी तथ्य। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक चुनाव याचिका में, क्या कोई विशेष तथ्य भौतिक है या नहीं और इस तरह का अनुरोध किया जाना आवश्यक है, यह एक सवाल है।

जो आधारों की प्रकृति पर निर्भर करता है और मामले की विशेष परिस्थितियाँ। [पैरा 22] [187-जी-एच; 188-ए-बी]

3. संबंधित अनुच्छेदों में अभिकथन

चुनाव याचिका को किसी भी मानक से तुच्छ और परेशान करने वाला नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आग्रह किए गए तथ्यों और आधारों की स्थिरता में प्रवेश करने में स्पष्ट त्रुटि की

योग्यता के आधार पर अपीलार्थी द्वारा इसका समर्थन, जैसा कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 16 से 22 में दिए गए तर्क से स्पष्ट है। [पैरा 29] [195-सी-डी]

4. उच्च न्यायालय ने राय दी है कि की सामग्री

चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 में "कोई" भौतिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे, लेकिन वे केवल [2018] 9 एस. सी. आर. को पूर्ण करने की प्रकृति के थे।

और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र को स्वीकार करते समय अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्तियों को अनुचित रूप से खारिज करने के लिए निर्वाचन अधिकारी का आदेश। उच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से संबंधित की सामग्री का उल्लेख किया

चुनाव याचिका के पैराग्राफ, लेकिन उस ओर से उच्च न्यायालय का विश्लेषण सही नहीं है। चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 स्पष्ट रूप से तथ्यों का खुलासा करते हैं, जो चुनाव की घोषणा करने के आधारों पर निर्णय लेने के लिए भौतिक तथ्य हैं।

निर्वाचन अधिकारी (प्रत्यर्थी) द्वारा अपने नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 को शून्य माना गया है।

5. दोनों आवेदनों पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है, यदि विकृत नहीं है। क्योंकि, इसने योग्यता के आधार पर मामले के विश्लेषण के क्षेत्र में कदम रखा है। यह इस स्तर पर एक निषिद्ध क्षेत्र है। चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 में दलीलें तुच्छ और परेशान करने वाली हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि चुनाव याचिका, जैसा कि दायर की गई है, को किसी भी हिस्से को घटाए बिना समग्र रूप से जांचना होगा। वहाँ से। यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो यह दृष्टिकोण रखना संभव नहीं है कि यह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है। इस निष्कर्ष पर, प्रतिवादी नं. 1 अस्वीकार करने के लिए

आदेश VII नियम 11 के तहत सीमित सीमा में चुनाव याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे विफल भी होना चाहिए। [पैरा 33] [199-डी-एफ]

6. उपरोक्त के आलोक में, विषय चुनाव याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर दोनों आवेदन अस्वीकार किए जाने के योग्य हैं। इसके अलावा, चुनाव याचिका को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उच्च न्यायालय की फाइल में उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया जाएगा। इसी तरह, अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन (शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन को छोड़कर) कानून के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले उनके मूल नंबरों पर बहाल हो जाएंगे। [पैरा 42] [203-ए-बी]

मोहन रावले बनाम। दामोदर तात्याबा (1994) 2 एससीसी 392: [1992] 3 पूरक। एससीआर 850; हरकीरत सिंह बनाम। अमरिंदर सिंह (2005) 13 एस. सी. सी. 511: [2005] 5 पूरक। एससीआर 817

पर भरोसा किया।

डीराजू वेंकट रामना राजू बनाम। पेडिरेड्डिक रामचंद्र रेड्डी और हमारा।

अजहर हुसैन बनाम। राजीव गांधी 1986 (पूरक) एस. सी. सी. 315: [1986] एससीआर 782; राम सुख बनाम। दिनेश अग्रवाल (2009) 10 एससीसी 541: [2009] 14 एस. सी. आर. 836; पेंडयाला वेंकट कृष्ण राव बनाम। पोथुला रामा राव 2005 (3) एएलडी 47; हरि शंकर जैन बनाम। सोनिया गांधी (2001) 8 एससीसी 233: [2001] 3 पूरक। एससीआर 38; नंदीशा रेड्डी बनाम। कविता महेश (2011) 7 एससीसी 721: [2011] 8 एस. सी. आर. 154; पोथुला रामा राव बनाम। पेंडयाला वेंकट कृष्ण राव और अन्य। (2007) 11 एससीसी 1: [2007] 8 एससीआर 982; किसान शंकर कथोरे बनाम। अरुण दत्तात्रेय (2014) 14 एस. सी. सी. 162: 2014 (7) एस. सी. आर. 258; कृष्णमूर्ति बनाम। शिव कुमार और अन्य (2015) 3 एस. सी. सी. 467 [2015] 4 एस. सी. आर. 987; पुनरुत्थान भारत बनाम। भारत निर्वाचन आयोग (2014) 14 एस. सी. सी. 189 [2013] 9 एस. सी. आर. 360; दुनिया चंद बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। (2014) 16 एस. सी. सी. 152; कुलदिप सिंह पठानिया बनाम। बिक्रम सिंह जरयाल (2017) 5 एस. सी. सी.

345 ; डी. रामचंद्रन बनाम आर. वी. जानकीरमन और अन्य। (1999) 3 एससीसी 267: [1999] 1 एससीआर 983; अशराफ कोक्कुर बनाम। केवी अब्दुल खादर और अन्य। (2015) 1 एस. सी. सी. 129 [2014]

7 एस. सी. आर. 1123; विरेन्द्र नाथ गौतम बनाम। सतपाल सिंह और

ओआरएस। (2007) 3 एससीसी 617: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 413; मो. अकबर बनाम. अशोक साहू और अन्य। (2015) 14 एस. सी. सी. 519; आर. के. रोजा बनाम। यू. एस. रायडू और एन. आर. (2016) 14 एस. सी. सी. 725; मैरेम्बम पृथ्वीराज बनाम। पुखरम शरतचंद्र

सिंह (2017) 2 एससीसी 487 [2016] 9 एससीआर 687; श्री बलवंत सिंह बनाम। श्री लक्ष्मी नारायण एयर 1960 एससी 770: [1960] एस. सी. आर. 91; सामंत एन. बालकृष्ण और अन्र। वी. जॉर्ज फर्नांडीज और ओआरएस। 1969 (3) एससीसी 238: [1969] 3 एससीआर 603; एल. आर. शिवरामगौड़ा और अन्य। वी. टी. एम.

चंद्रशेखर (मृत) एल. आर. और ओ. आर. द्वारा। (1999) 1 एस. सी. सी. 666 [1998] 3 पूरक। एस. सी. आर. 241; राम सुख बनाम। दिनेश अग्रवाल (2009) 10 एससीसी 541: [2009] 14 एससीआर 836;

मंगनी लाल मंडल बनाम। बिष्णु देव भंडारी (2012) 3 एस. सी. सी. 314 [2012] 1 एस. सी. आर. 527; शंभू प्रसाद शर्मा बनाम। चरणदास महांत और अन्य। (2012) 11 एससीसी 390: [2012] 6 एससीआर 356; हुकुमदेव नारायण यादव बनाम। ललित नारायण मिश्रा (1974) 2 एस. सी. सी. 133: [1974] 3 एस. सी. आर. 31; के. वेंकटेश्वर राव और अन्र। वी. बेक्कम नरसिम्हा रेड्डी और अन्य। [1969] 1 एससीआर 679; हरमोहिंदर सिंह [2018] 9 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रधान बनाम. रणजीत सिंह तलवंडी और अन्य। (2005) 5

गांधी (2001) 8 एस. सी. सी. 233 [2001] 3 पूरक। एससीआर 38; टेक चैंक वी. दिल राम (2001) 3 एस. सी. सी. 290: [2001]

1 एस. सी. आर. 527; एम. कमलम बनाम वी. ए. सैयद मोहम्मद (1978)

2 एससीसी 659: [1978] 3 एससीआर 446; जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम

प्रसन्ना कुमार (2013) 4 एससीसी 776: [2013]

4 एस. सी. आर. 1107; वी. एस. अच्युतानंदन बनाम पी. जे. फ्रांसिस

(1999) 3 एससीसी 737 [1999] 2 एससीआर 99; पोन्नाला

लक्ष्मैया वी। कोम्मुरी प्रताप रेड्डी (2012) 7 एससीसी

जॉर्ज फर्नांडिस (1969) 3 एस. सी. सी. 238: [1969] 3 एससीआर 603 ; मायार (एच. के.) लिमिटेड और ओआरएस। वी. मालिक और पार्टियाँ

पोत एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस और अन्य। (2006) 3 एससीसी

100 [2006] 1 एस. सी. आर. 860; विरेंद्र नाथ गौतम बनाम।

सतपाल सिंह और अन्य। (2007) 3 एससीसी 617: [2006] 10

पूरक। एस. सी. आर. 413; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ (2003) 4 एस. सी. सी. 399 [2003]

2 एस. सी. आर. 1136; दुरई मुथुस्वामी बनाम। एन. नचियप्पन और

ओआरएस। (1973) 2 एससीसी 45: [1974] 1 एस. सी. आर. 40; जगजीत सिंह वी . धरम पाल सिंह और अन्य। (1995) पूरक (1) एस. सी. सी.

422 ; वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम। देव चंद्र और ओआरएस।

[1955] 1 एस. सी. आर. 509-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1986] एससीआर 782

पैर

ा 3

संदर्भित किया गया है

[2009] 14 एससीआर 836

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 3

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 3

2005 (3) एएलडी 47

[2001] 3 पूरक। एससीआर 38

पैर

ा 3

संदर्भित किया गया है

[2011] 8 एससीआर 154

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2007] 8 एससीआर 982

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 4

संदर्भित किया गया है

2014 (7) एससीआर 258

पैर

ा 4

[2015] 4 एससीआर 987

पैर

ा 4

संदर्भित किया गया है

[2013] 9 एससीआर 360

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

(2014) 16 एससीसी 152

संदर्भित किया गया है

पैरा 7 मदिराजु वेंकट रमण राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीग रामचंद्र रेड्डी और हमारा।

2017) 5 एस. सी. सी. 345

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

1999] 1 एससीआर 983

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

2014] 7 एससीआर 1123

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

2006] 10 पूरक। एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

2005] 5 पूरक। एससीआर 817

उस पर भरोसा करें

पैरा

7

2015) 14 एस. सी. सी. 519

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

2016) 14 एस. सी. सी. 725

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

2016] 9 एससीआर 687

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

1960] एससीआर 91

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

1969] 3 एससीआर 603

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

1998] 3 पूरक। एससीआर 241

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

2009] 14 एससीआर 836

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

2012] 1 एससीआर 527

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

2012] 6 एससीआर 356

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

1974] 3 एससीआर 31

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

1969] 1 एससीआर 679

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

2005] 3 एससीआर 952

संदर्भित किया गया है

2001] 3 पूरक। एससीआर 38

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

2001] 1 एससीआर 527

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

1992] 3 पूरक। एससीआर 850

उस पर भरोसा करें

पैरा

22

1978] 3 एससीआर 446

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

2013] 4 एससीआर 1107

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

1999] 2 एससीआर 99

पैरा

25

संदर्भित किया गया है

2012] 6 एससीआर 851

पैरा

25

संदर्भित किया गया है

1969] 3 एससीआर 603

पैरा

27

संदर्भित किया गया है

2006] 1 एससीआर 860

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

2006] 10 पूरक। एससीआर 413

[201

8] 9 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2003] 2 एससीआर 1136

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[1974] 1 एससीआर 40

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

(1995) पूरक (1) एस. सी. सी. 422 संदर्भित

पै

रा 35

[1955] 1 एससीआर 509

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 9466

9468 2016 से।

उच्च न्यायालय के 02.08.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 2014 की ई. पी. सं. 8,2015 की ई. ए. सं. 329 और 330 और 2015 की ई. पी. सं. 8 में हैदराबाद में न्यायपालिका

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , आनंद, के. एस. महादेवन, सुश्री राजेशरी

निवुरतिराव रेड्डी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वी. आर. एन. प्रशांत, श्रीधर पोटाराजू,

प्रभात कुमार, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., सुश्री अंकिता शर्मा, गुंटूर प्रभाकर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. वर्तमान अपीलें सामने आती हैं

उच्च न्यायालय के 2 अगस्त, 2016 के निर्णय और आदेश से

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद में न्यायिक कार्य, हड़ताली

चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 को रद्द करना और साथ ही खारिज करना

चुनाव याचिका, अपीलार्थी द्वारा दायर 2014 की चुनाव याचिका संख्या 8 है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव को चुनौती देना।

2. आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल के संबंध में चुनाव

विधानसभा का आयोजन 7 मई, 2014 को किया गया था। अपीलार्थी और प्रतिवादी नंबर 1 ने पुंगनूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। प्रतिवादी नंबर 1 को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया गया था। एक चुनाव याचिका के माध्यम से, अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, "अधिनियम") के प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, बदले में, उक्त चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 को रद्द करने और चुनाव याचिका को सीमित रूप से खारिज करने की मांग करने वाले दो आवेदन लिए, जिनमें से दोनों को अंततः उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई।

डीराजू वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दिरेड्डीगरीमच्छिंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

3. वर्तमान संघर्ष की पृष्ठभूमि नीचे दी गई है:

नं. 1, चुनाव लड़ने के योग्य पाए गए थे; डी। अपीलार्थी ने उसी दिन यानी 21 अप्रैल, 2014 को नामांकन पत्रों की स्वीकृति पर आपत्ति दर्ज की थी।

प्रत्यर्थी संख्या 1 इस आधार पर कि वह अपने नामांकन पत्रों के समर्थन में हलफनामों के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने में विफल रहा था और उस संबंध में निर्धारित नियमों के विपरीत, अपने प्रपत्रों में सभी कॉलम भरने में भी विफल रहे। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त आपत्ति याचिका पर अपना प्रतिवाद दायर किया;

ई. निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त याचिका पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इस पर फैसला सुनाया गया है। एफ. चुनाव 7 मई, 2014 को हुए थे और परिणाम 16 मई, 2014 को घोषित किए गए थे। उत्तरदाता नंबर 1 को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया गया था, जिसने सबसे अधिक वैध वोट हासिल किए थे। अपीलार्थी दूसरे स्थान पर रहे जबकि शेष 6 (छह) उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

जी। इसके बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव को 25 जून, 2014 की एक चुनाव याचिका के माध्यम से हैदराबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 83,100 (1) (ए) और (डी) (आई) के साथ पठित धारा 81 के तहत चुनौती दी। उन्होंने यह भी मांग की

घोषणा कि वह 284-पुंगनूर विधानसभा क्षेत्र की राज्य विधानसभा के विधिवत निर्वाचित सदस्य थे;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त याचिका में दो आवेदन लिए। 2015 का ई. ए. सं. 329 आदेश VI नियम 16 के तहत

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 में किए गए कथनों को तुच्छ और परेशान करने वाला बताते हुए, इसके बाद सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत 2015 की ई. ए. संख्या 330 द्वारा कार्रवाई के कारण का खुलासा करने में विफल रहने के लिए चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई।

आई. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति के लिए, चुनाव याचिका में तेजी लाने और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भौतिक तथ्यों के दमन पर ध्यान देने के लिए विविध आवेदन भी लिए;

जे. उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त, 2016 को अपने फैसले में कहा,

(" आक्षेपित निर्णय ") ने दोनों आवेदनों की अनुमति दी

प्रतिवादी संख्या 1, अंततः कार्रवाई के कारण के अभाव में चुनाव याचिका को खारिज कर रहा है। उच्च न्यायालय ने मोटे तौर पर तीन बिंदुओं पर विचार किया। सबसे पहले, "भौतिक तथ्य" और "कारण" शब्दों का विस्तार।

चुनाव याचिका के संदर्भ में कार्रवाई की; दूसरा, क्या इस विषय में भौतिक तथ्यों और कार्रवाई के कारण का अनुरोध किया गया है।

चुनाव याचिका में मुकदमे की आवश्यकता है; और, तीसरा, क्या चुनाव

दायर याचिका बिना किसी सीमा के खारिज किए जाने के योग्य है

एक परीक्षण का संचालन करना। पहले बिंदु पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने सबसे पहले 1951 के अधिनियम की धारा 81,83,100 और 101 के बीच अंतर-खेल के बारे में चर्चा की। यह अभिनिर्धारित किया कि इन लोगों का अधिदेश

प्रावधान यह है कि चुनाव याचिका में एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए

भौतिक तथ्यों का विवरण जिस पर अपीलार्थी भरोसा करता है और कि चुनाव याचिका के सफल होने के लिए, अपीलार्थी को यह स्थापित करना चाहिए कि वापस किए गए उम्मीदवार का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था और आगे, इस तरह की अनुचित स्वीकृति के कारण, वापस किए गए उम्मीदवार का चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। उच्च न्यायालय ने अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, 1 राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल, पेंडचाला वेंकट कृष्णा के मामलों पर भरोसा किया। राव बनाम पोथुला रामा राव, 3 हरि शंकर जैन बनाम सोनिया

गांधी, और नंदीशा रेड्डी बनाम कविता महेश और

इन सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया:

(1) (सप) एस. सी. सी. 325

9) 10 एस. सी. सी. 541

(3) एएलडी 47

1) 8 एससीसी 233

1) 7 एस. सी. सी. 721 दिराजू वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दिरेड्डीगरीमच्छिंद्र रेड्डी और हमारा।
[ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 15) तो, उपरोक्त पूर्ववर्ती के एक समग्र अध्ययन पर

न्यायशास्त्र को हम समझेंगे:

(i) धारा 83 (1) (ए) में प्रयुक्त वाक्यांश भौतिक तथ्य

R.P.Act को परिभाषित नहीं किया गया है और इसका अर्थ एक प्रासंगिक है

दी गई चुनाव याचिका में से एक।

((ii) भौतिक तथ्य या तथ्य प्रोबंडा वे बुनियादी तथ्य हैं,

प्राथमिक और प्रमुख तथ्य जिनका चुनाव याचिकाकर्ता पक्ष लेगा

और यदि पार किया जाता है तो न्यायालय के लिए एक डिक्री का खर्च वहन करने के लिए साबित करें।

(iii) जबकि भौतिक विवरण या तथ्य संभाव्यता साक्षय के रूप में विवरण हैं जो आगे जीवंत, परिष्कृत और स्पष्ट करते हैं।

भौतिक तथ्यों को अधिक स्पष्ट करें।

((iv) भौतिक तथ्य तथ्यों का पूरा समूह है जो

याचिकाकर्ता के लिए कार्रवाई का एक पूर्ण कारण और कुल

प्रत्यर्थी के लिए बचाव "।

एन. जी. ने यह कहा, अदालत ने तब निम्नलिखित शब्दों में चुनाव में कथनों का विश्लेषण किया:

" 16) बिंदु संख्या 2: मैंने सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है

यह जानने के लिए कि क्या प्रथम प्रतिवादी/चुनाव

याचिकाकर्ता ने सभी प्रासंगिक भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया था और वे

मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई का कारण बनता है। यह देखा गया है कि

अपनी दलीलों में उन्होंने उन पाँच आपत्तियों को दोहराया है जो उन्होंने उठाई थीं।

के समय 8वें प्रत्यर्थी/निर्वाचन अधिकारी के समक्ष

नामांकन की जांच और दोहराया कि निर्वाचन अधिकारी

उन्होंने चुनाव नियमों के संचालन और मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत अपनी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। उन्होंने मेज दी है जिसमें दिखाया गया है कि प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को मतदान किया गया और अनुरोध किया कि वह

वह तालिका में दूसरे स्थान पर रहे। जैसा कि सही तर्क दिया गया है

याचिकाकर्ता को छोड़कर कि निर्वाचन अधिकारी के पास है

अपनी आपत्तियों को अनुचित रूप से खारिज कर दिया, पहले प्रतिवादी ने नहीं किया है

अपनी दलीलों में भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत किया कि कैसे

उसकी धारणा और कानून की नजर में, की व्यवस्था

निर्वाचन अधिकारी अक्षम्य है। केवल एक खरोंच निर्वाचन अधिकारी का आदेश चाहे कितना भी उग्र क्यों न हो

कहा जा सकता है, भौतिक तथ्यों का गठन नहीं करेगा और जन्म देगा

कार्रवाई का कारण जब तक कि अभिवचन के साथ संतुलित न हो

[2018] 9 एस. सी. आर. कहाँ और कैसे प्रस्तावित करने के तथ्यात्मक और कानूनी कारण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित आदेश को विकृति और अवैधता का सामना करना पड़ा। में

तत्काल मामले में, मेरे विचार में, दुर्भाग्य से

अभिवचन इस तरह के भौतिक तथ्यों से पूरी तरह से रहित हैं। उस पर

अभिवचनों को पढ़ने का पूरा होना जिसे कोई समझने में विफल रहता है

कैसे निर्वाचन अधिकारी के आदेश में गलती थी। a) पारस-2,9 से 11 पर याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से हमला किया जाता है

इस आधार पर कि उन पैरासों में अभिवचन किसी द्वारा समर्थित नहीं हैं

भौतिक तथ्य और इसलिए वे खारिज किए जाने योग्य हैं। पैरा में

2 प्रथम प्रत्यर्थी ने अपने द्वारा की गई पाँच आपत्तियों का वर्णन किया। में।

पैरा-9 में उन्होंने अपनी शिकायत व्यक्त की कि 8 वें प्रतिवादी ने ऐसा नहीं किया है।

उसकी आपत्ति पर विचार किया और उसका आदेश निर्णय के विपरीत है पुनरुत्थान भारत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय (10 ऊपर)। उन्होंने आगे कहा कि

उस पैरा में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार, खाली विवरण के साथ एक शपथ पत्र शपथ पत्र को निरर्थक बना देगा।

पैरा-10 में उन्होंने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में

8 उत्तरदाता को अनुचित नामांकन को अस्वीकार कर देना चाहिए था

क्योंकि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति में Rs.21 लाख नहीं जोड़े हैं और अपनी परिसंपत्तियों का सकल कुल दिखाया और सकल दिखाया

कुल रु. 2,79,67,680/- के बजाय रु. 3,00,67,680/-। जबकि में

पैरा-11 शीर्षक ग्राउंड्स 1 उत्तरदाता ने दोहराया कि

8 प्रतिवादी ने नामांकन की अनुचित स्वीकृति दी है। द.

पैरा-2,9 से 11 का संचयी प्रभाव और कुछ नहीं बल्कि फिर से है। 8 वें प्रत्यर्थी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए

यह प्रदर्शित करते हुए कि उनका आदेश तथ्यात्मक और कानूनी रूप से कैसे था दुर्भावनापूर्ण और गलत। यहाँ तक कि फैसले का उल्लेख भी

पुनरुत्थान भारत के मामले में (10 ऊपर) और आरोप कि याचिकाकर्ता ने कुल से Rs.21 लाख दबा दिए

हम वर्तमान में देखेंगे कि परिसंपत्तियां किसी भी सामग्री का गठन नहीं करेंगी।

तथ्य ताकि पैरा-2,9 में आरोपों को मजबूत किया जा सके

11. "

(जोर दिया गया)

4. पोथुला रामा राव बनाम पेंडचाला में निर्णय पर निर्भर

अता कृष्ण राव और ओआरएस।, 6 उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि

पैराग्राफ 2 और 9 से 11 में दिए गए शब्द तुच्छ और परेशान करने वाले थे और

7) 11 एस. सी. सी. 1 मदिराजु वेंकट रमण राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिसमें कोई भौतिक तथ्य और कार्रवाई का कारण शामिल नहीं है, जिसके लिए वे रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने एक प्रारंभिक टिप्पणी के साथ तीसरे बिंदु की जांच शुरू की कि अपीलार्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका भौतिक तथ्यों के बारे में दुखद रूप से चुप थी

कार्रवाई का कारण बनाना। इसके बाद यह अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि कैसे निर्वाचन अधिकारी का आदेश तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत था। इसने पहले आपत्ति संख्या पर विचार किया। 1 और 3 अपीलार्थी द्वारा लिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रपत्र No.26 में शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर नहीं किए थे, जो सिविल रूल ऑफ प्रैक्टिस के नियम 35 का उल्लंघन था और केवल शपथ पत्र के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं था। सिविल रूल ऑफ प्रैक्टिस के नियम 35 को स्वीकार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त नियम निर्वाचन अधिकारी जैसे वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष दायर हलफनामे के रूप में लागू नहीं होता है। इसके बाद इसने भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्वाचन अधिकारी के लिए हस्तपुस्तिका-2014 का उल्लेख किया, जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र निर्धारित किया गया था। के अनुसार

उक्त निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार को शपथ पत्र के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। इस निष्कर्ष पर, अपीलार्थी की आपत्ति को नकार दिया गया। अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्ति संख्या 2 (ए) पर विचार करते समय कि प्रतिवादी संख्या 1 के हलफनामों में से एक में वस्तु संख्या 4 की क्रम संख्या 2 में, याचिकाकर्ता की पत्नी से संबंधित आई. टी. विवरणी में दिखाई गई कुल आय के शीर्षक के तहत जगह खाली छोड़ दी गई थी। इसके अलावा, उम्मीदवार भारत के चुनाव आयोग द्वारा 24 अगस्त, 2012 को जारी अधिसूचना संख्या 3/4/2012/एस. डी. आर. के संदर्भ में प्रपत्र 26 में दो शपथ पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 ने आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया, जिसने किसान शंकर कथोर बनाम के अनुसार नामांकन पत्र को अमान्य कर दिया। अरुण दत्तात्रेय '। उच्च न्यायालय ने इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दी कि उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी घोषित करने की आवश्यकता है

यदि कोई संपत्ति, देनदारियाँ, शैक्षिक योग्यता आदि हैं। संशोधित प्रपत्र

26 यह दो अलग-अलग शपथपत्रों में मांगी गई सभी जानकारी को शामिल करने के लिए एक व्यापक रूप था। फॉर्म 26 का संशोधित रूप था

1 अगस्त, 2012 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया, जिसके बाद भारत के चुनाव आयोग ने 24 अगस्त, 2012 की अपनी अधिसूचना द्वारा स्पष्ट कर दिया कि उम्मीदवार संशोधित प्रपत्र में केवल एक हलफनामा दाखिल करेगा।

7 (2014) 14 एससीसी 162 [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. साथ ही, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिसूचना ने 1951 के अधिनियम की धारा 33 (6) के विपरीत उम्मीदवार पर कई नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस आधार पर लिया गया फैसला

भौतिक तथ्य। क्योंकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इसे रिकॉर्ड में रखा था कॉलम (ए), (बी), (सी) और (डी) के खिलाफ तथ्य लागू नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय को अलग किया

कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार और अन्य। शपथ पत्र के भाग-बी की मद संख्या 8 (III) के संबंध में आपत्ति संख्या 2 (सी) की जांच करते हुए 'अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य' शीर्षक, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खाली छोड़ दिया गया था, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की याचिका को स्वीकार कर लिया कि उक्त जानकारी कॉलम (ए) और (बी) के खिलाफ प्रकट की गई थी। इसने माना कि उम्मीदवार को कॉलम (ए) और (बी) के खिलाफ समान विवरण देने की आवश्यकता है न कि शीर्षक के खिलाफ। पुनरुत्थान भारत बनाम निर्वाचन आयोग के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

इस प्रकार भारत को प्रतिष्ठित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1, अर्थात् पी. द्वारकानाथ रेड्डी के प्रतिनिधि के संबंध में पांचवीं आपत्ति पर विचार करते हुए, हलफनामे और फॉर्म 26 के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने में विफलता और बाद में अपना नामांकन वापस लेने के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का पी. द्वारकानाथ रेड्डी के नामांकन से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा उठाई गई प्रत्येक आपत्ति की जांच की और चुनाव याचिका में अपनी योग्यता के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" 23) इस प्रकार, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा 8वें प्रत्यर्थी के समक्ष उठाई गई और अपनी चुनाव याचिका में दोहराई गई आपत्तियों में से कोई भी विचार के योग्य नहीं है। उपरोक्त के अलावा, पैरा में प्रथम उत्तरदाता 10 चुनाव याचिका ने
इस प्रभाव के लिए एक नया आधार लिया है कि याचिकाकर्ता ने 1 लाख रुपये के चल सामान को छुपाया है।

उनकी पत्नी की संपत्ति और उनके सकल कुल मूल्य के रूप में दिखाया

रु. 2,79,67,680/- के बजाय रु. 3,00,67,680/-। यह माना जाना चाहिए कि इस आपत्ति में भी कोई दम नहीं है। मद No.VII में याचिकाकर्ता

8 (2015) 3 एस. सी. सी. 467

9 (2014) 14 एस. सी. सी. 189 दिराजु वेंकट रमण राजू बनाम। पेद्दिरेड्डीगरीमच्छिंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उसने अपनी पत्नी-जी की वस्तु के हिसाब से चल संपत्ति दिखाई है। स्वर्णलता

और उनका सकल कुल मूल्य रु. 2,79,67,680/- दिखाया। हालांकि,

कुल मूल्य रु. 3,00,67,680/- आता है। यह केवल एक गलती है

किसी भी वस्तु को छिपाना, कुल में लिपिकीय त्रुटि नहीं हो सकती है इसे अपराध के रूप में लिया जाता है।

24) इस प्रकार, एक पक्ष पर, चुनाव याचिका उत्तरदायी है -

8वें उत्तरदाता से पहले और चुनाव में दोहराया गया याचिका पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो हो सकती है और

तथ्य, संचालन की आवश्यकता के बिना तय किया गया है

मुकदमा। यह सच है कि अशरफ कोक्कुर के मामले (5 ऊपर) में

1 प्रथम प्रतिवादी सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तथ्य प्रकट होते हैं

भौतिक तथ्य और कार्रवाई का कारण हालांकि पूर्ण कारण नहीं कार्रवाई, चुनाव याचिका को सीमा पर खारिज करने की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, तत्काल मामले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, चुनाव याचिका में पूरी तरह से भौतिक तथ्यों का अभाव है सिवाय इसके कि

8वें प्रत्यर्थी के समक्ष उठाई गई आपत्तियों की पुनरावृत्ति। इसलिए, चुनाव याचिका खारिज होने के योग्य है।

क) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, प्रथम प्रत्यर्थी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं।

परिसंपत्तियों के कथित दमन के संबंध में नई आपत्तियाँ

याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी पहली बार अपने काउंटर पर लेकिन नहीं

उक्त आपत्ति को दबाया। अतः उक्त आपत्ति नहीं ली जाती है।

विचार में। इसलिए, शुरुआत में, द्वारा दायर दो याचिकाएं

याचिकाकर्ता को अनुमति दी जानी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप चुनाव याचिका को सीमित अवधि में खारिज किया जा सकता है।

इस बिंदु का उत्तर उसी के अनुसार दिया गया है।

(जोर दिया गया)

इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने 2015 के ई. ए. संख्या 329 को अनुमति दी

चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 में दलीलों को तुच्छ और परेशान करने वाला होने और इसमें वास्तविक तथ्य और कार्रवाई का कारण नहीं होने के कारण खारिज करने के लिए आदेश संख्या 1। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर ई. ए. No.330 के दूसरे आवेदन को भी अनुमति दी।

और 2014 की चुनाव याचिका संख्या 8 को सीमित रूप से खारिज कर दिया।

18] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन को सुना है।

केवल इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लंघन करते हुए, लेकिन अधिनियम की धारा 125 ए (आई) का भी उल्लंघन किया और इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कई परिपत्रों के खिलाफ भी था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी अपने नामांकन पत्रों में से प्रत्येक के साथ दो हलफनामे दायर किए, जो चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों में केवल एक हलफनामा दायर करने की अनुमति देने वाले जनादेश का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा, उक्त हलफनामों के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने इसे दबा दिया था उनके और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली चल और अचल संपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और वास्तव में, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष एक परस्पर विरोधी हलफनामा दायर किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी को दबाए जाने के आलोक में, मुद्दे के मामले में एक पूर्ण परीक्षण की आवश्यकता थी और उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को सीमित रूप से खारिज करने में स्पष्ट त्रुटि की। उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 को इस आधार पर रद्द करने में भी गलती की कि उसमें निहित कथन परेशान करने वाले और तुच्छ थे, इसके लिए कोई कानूनी औचित्य दिए बिना। उच्च न्यायालय ने केवल चुनाव याचिका में किए गए कथनों पर विचार करने के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबी/उत्तर में किए गए अभिवचनों को भी ध्यान में रखा। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 विशेष रूप से चुनाव याचिका में आरोपों/कथनों का खंडन करने में विफल रहा था।

7. श्री सिद्धार्थ लूथरा पुनरुत्थान भारत (ऊपर), कृष्ण मूर्ति (ऊपर), दुनिया चंद बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भर हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य और Ors.[1]0, कुलदिप सिंह पठानिया बनाम।

10 10 (2014) 16 एस. सी. सी. 152 मदिराजु वेंकट रमण राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विक्रम सिंह जरयाल ", डी. रामचंद्रन बनाम आर. वी. जानकीरमन और Ors.[1]2, अशराफ कोक्कुर बनाम. के. वी. अब्दुल खादर और Ors.[13] 13, विरेंद्र नाथ गौतम बनाम. सतपाल सिंह और Ors.[1]4, किशन शंकर कथोरे (ऊपर), हरकीरत सिंह बनाम. अमरिंदर सिंह", मोहम्मद। अकबर बनाम अशोक साहू और Ors.[1], RK रोजा बनाम। यू. एस. रायडू & Anr.[1]7,

मैरेम्बम पृथ्वीराज बनाम पुखरम शरतचंद्र सिंह 1 8 और श्री बलवंत सिंह बनाम श्री लक्ष्मी नारायण "।

8. इसके विपरीत, श्री राजू रामचंद्रन, प्रतिवादी नं. 1 , प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नामांकन पत्र पर अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्तियों के संबंध में निर्वाचन अधिकारी के निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित थे। वह प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक चुनाव याचिका पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक औपचारिक अभ्यास करने के लिए। वर्तमान मामला विशुद्ध रूप से अभिलेख पर दस्तावेजों पर आधारित था और उस संबंध में प्रमुख साक्षय की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी, केवल तकनीकी याचिकाओं पर बहस की गई थी, जिनमें से कोई भी रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं थी। अधिनियम की धारा 36 (4) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन पत्र को केवल तकनीकी दलीलों पर खारिज किया जा सकता है। चूँकि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक चुनाव याचिका एक वैधानिक कार्यवाही थी और न कि कानून में कार्रवाई या समानता में मुकदमा, इस तरह की याचिका का निर्धारण अधिनियम की धारा 36 (4) के अनुरूप होना था। इसके अलावा, धारा के तहत चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए अनिवार्य शर्त

100 (1) ((घ) अधिनियम का उद्देश्य यह अभिवेदन करना और यह भी स्थापित करना था कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति ने नामांकन के परिणामों को भौतिक रूप से प्रभावित किया था।

चुनाव, जो वर्तमान मामले में, अपीलार्थी दावा करने में विफल रहा था। अपीलार्थी द्वारा भौतिक तथ्य का ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया था। इसी तरह, चुनाव याचिका, जैसा कि दायर की गई थी, मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण स्थापित करने के लिए तथ्यों के भौतिक विवरण का खुलासा करने में भी विफल रही। अंत में, अपीलार्थी ने अपनी याचिका में दमन सहित नए आरोप लगाए थे

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन के प्रति-शपथ पत्र के माध्यम से परिसंपत्तियों और धोखाधड़ी का। यह स्पष्ट रूप से इस स्थापित कानून के खिलाफ था कि चुनाव याचिका में नए तथ्यों को एक अवधि से आगे पेश नहीं किया जा सकता था।

1 4 14 (2007) 3 एससीसी 617 15 (2005) 13 एस. सी. सी. 511

16 (2015) 14 एस. सी. सी. 519

18 (2017) 2 एस. सी. सी. 487 19 आकाशवाणी 1960 एससी 770 [2018] 9 एस. सी. आर.

विवादित चुनाव के परिणाम की घोषणा के 45 दिन बाद। क्योंकि, चुनाव याचिका जून 2014 में दायर की गई थी, जबकि जवाबी हलफनामे लगभग एक साल बाद यानी जून 2015 में दायर किए गए थे और इसलिए, उसमें निहित कथनों पर विचार नहीं किया जा सका।

9. श्री रामचंद्रन ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

पोथुला रामा राव (ऊपर), सामंत एन. बालकृष्ण और अन्र। बनाम। जॉर्ज फर्नांडीज और Ors.20, एल. आर. शिवरामगौड़ा और अन्य। बनाम टी. एम.

चंद्रशेखर (मृत) एल. आर. और Ors.2[1], राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल 2 2, मंगनी लाल मंडल बनाम. बिष्णु देव भंडारी 2 3, शंभू प्रसाद शर्मा बनाम. चरणदास महंत और Ors.[2]4, हुकुमदेव नारायण यादव बनाम. ललित नारायण मिश्रा 25, के. वेंकटेश्वर राव और अन्र। बनाम बेक्कम नरसिम्हा रेड्डी और Ors.[2]6, हरमोहिंदर सिंह प्रधान बनाम रंजीत सिंह तलवंडी और अन्य। 27 , हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी 28 और टेक चंक बनाम दिली राम 2 9 29

10. इन अपीलों में केंद्रीय मुद्दा है: क्या विषय चुनाव याचिका की सामग्री मुकदमे के लिए आवश्यक कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है?

उच्च न्यायालय ने एक समग्र निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (लौटे उम्मीदवार) द्वारा दायर दो आवेदनों को अनुमति दी, जिसमें चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 टोल को खारिज करने का अनुरोध किया गया था, जो तुच्छ और परेशान करने वाला था और जिसमें कोई भौतिक तथ्य नहीं थे और कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था; और कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करने के लिए चुनाव याचिका को सीमित रूप से खारिज करने के लिए दूसरा आवेदन।

11. आम तौर पर, कार्रवाई के कारण का खुलासा न करने के लिए कथित रूप से आदेश VII नियम 11 के तहत सीमित सीमा में चुनाव याचिका की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन, सीमा पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि, इस पर नियम 11 के खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट आधारों के संदर्भ में चुनाव याचिका में संस्थागत दोषों के आधार पर ही विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में, कार्रवाई के कारण का खुलासा न करना खंड (ए) के अंतर्गत आता है। स्वीकार करते हुए, 20 1969 (3) एससीसी 238

21 (1999) 1 एस. सी. सी. 666

22 (2009) 10 एस. सी. सी. 541

23 (2012) 3 एस. सी. सी. 314

24 (2012) 11 एस. सी. सी 390

25 (1974) 2 एससीसी 133 26 (1969) 1 एससीआर 679; एआईआर 1969 एससी 872
27 (2005) 5 एससीसी 46

28 (2001) 8 एससीसी 233

29 (2001) 3 एस. सी. सी. 290 मदिराजु वेंकट रमण राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

12. दूसरी ओर, आदेश VI नियम 16 के संदर्भ में अभिवचनों को समाप्त करने के लिए आवेदन का सहारा प्रतिवादी (ओं) द्वारा लिया जा सकता है। कार्यवाहियों के किसी भी चरण में प्रत्यर्थी, जैसा कि उक्त प्रावधान में बताया गया है। न्यायालय द्वारा नियम 16 के खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट आधारों पर अभिवचनों को निरस्त किया जा सकता है।

13. वास्तव में, यदि प्रतिवादी दो अलग-अलग आवेदन पेश करता है

उसी समय, जैसा कि इस मामले में, किसी दिए गए मामले में अदालत के लिए दोनों आवेदनों पर एक साथ या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए खुला होगा। यदि अदालत पहली बार में आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर सुनवाई करने का फैसला करती है, तो अदालत शिकायत पर समग्र रूप से विचार करने के लिए बाध्य होगी। लेकिन यदि न्यायालय वाद की अस्वीकृति के लिए आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करने से पहले अभिवचनों को खारिज करने के लिए आदेश VI नियम 16 के तहत आवेदन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो न्यायालय को आदेश VII नियम 11 के अभिधारणाओं के संदर्भ में वाद के शेष अभिवचनों पर विचार करना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वाद (अभिवचनों को खारिज करने के बाद) सीमित रूप से अस्वीकार किए जाने के योग्य है।
14. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने संभवतः बाद का रास्ता अपनाया है। इसने सबसे पहले चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 में दलीलों को तुच्छ और परेशान करने वाला बताते हुए खारिज करने के लिए आवेदन की जांच की और यह भी कि इसमें कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था। और उस प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद, यह इस आधार पर चुनाव याचिका को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा कि उसने [2018] 9 एस. सी. आर. के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया।

कार्रवाई। हालाँकि, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने दलीलों के विश्लेषण को गड़बड़ कर दिया है। इसने केवल चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 में दलीलों पर ध्यान केंद्रित किया। कहा गया अभिवचन तुच्छ और परेशान करने वाला होना एक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी अभिवचन जो अभी भी बचे हुए थे, मुकदमे के साथ आगे बढ़ने या कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जो भी हो, वादी को पूरी तरह से सीमित रूप से अस्वीकार करने के लिए या यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि यह एक परीक्षण की गारंटी नहीं देता है। अपील के तहत दिए गए फैसले से इस तरह के किसी निष्कर्ष का पता नहीं लगाया जा सकता है। चाहे जो भी हो, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 में दलीलों को खारिज करने में स्पष्ट त्रुटि की, जो उसमें उल्लिखित तथ्यात्मक मैट्रिक्स को योग्यता के आधार पर असमर्थनीय मानते हुए तुच्छ और परेशान करने वाला था। अभिवचनों को खारिज करने या उस मामले के लिए, वाद (चुनाव याचिका) को खारिज करने के लिए, उच्च न्यायालय से चुनाव याचिका में निर्दिष्ट विवाद के गुण-दोष पर निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हम इस पहलू पर थोड़ा बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे।

15. पैराग्राफ में चुनाव याचिका की सामग्री पर लौटना

आंध्र प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव याचिकाकर्ता ने तब चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अन्य तथ्यात्मक विवरण दिए हैं, जो 16 मई, 2014 को परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त हुई। अनुच्छेद 2 में, चुनाव याचिकाकर्ता (यहाँ अपीलकर्ता) ने जोर देकर कहा है कि वह नामांकन की अनुचित स्वीकृति के आधार पर चुनाव को चुनौती दे रहा था

निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 8)। यह इंगित किया गया है कि निर्वाचन अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा लिखित आपत्तियों के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन के दो सेटों पर विचार किया। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा की गई पाँच आपत्तियों की प्रकृति का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 35 और चुनाव नियम, 1961 के नियम 4ए का उल्लंघन और नामांकन पत्र के नीचे प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर न करना शामिल है। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ली गई पाँच आपत्तियों को निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" आपत्ति संख्या 1: नामांकन दाखिल करने वाला पहला उत्तरदाता प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर करने में विफल रहा है। प्रपत्र-26 में शपथ पत्र जैसा कि सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के तहत विचार किया गया है और जानबूझकर चुनाव नियमों के संचालन का उल्लंघन भी किया गया है।

मदिराजु वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आपत्ति संख्या 2: उम्मीदवार के रूप में पहला उत्तरदाता भरने में विफल रहा

शपथपत्र को ऊपर करें

ए। कुल के शीर्ष के तहत कॉलम संख्या 4 और कॉलम संख्या 2

आयकर विवरणी में दिखाई गई आय।

बी। कॉलम संख्या 6 में हलफनामों के दो सेट ठीक से नहीं हैं।

बंद करें जो कभी लागू नहीं होता है।

सी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने हलफनामों के दो सेटों में कॉलम संख्या 8 (बी) (III) में खाली रखा, जहां शब्द भाग-ए के (1) से (10) में दिए गए विवरण के सार के भाग-बी में "अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य" के हैं। यह चुनाव संचालन नियमों के अनुसार अनिवार्य है और

निर्वाचन अधिकारी को।
आपत्ति संख्या 3: प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रपत्र-26 के शपथ पत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर नहीं लिखा है जैसा कि सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के तहत विचार किया गया है और अध्याय 5.20 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर्स की हैंड बुक-2014 के तहत भी विचार किया गया है। 1 .

आपत्ति सं. 4: प्रतिवादी संख्या 1 ने कॉलम संख्या 6 में अपने हलफनामे में ठीक से रद्द नहीं किया है जो कभी भी लागू नहीं होता है।

आपत्ति सं. 5: प्रथम प्रतिवादी पी. द्वारकानाथ रेड्डी के प्रतिनिधि ने अपना शपथ पत्र ठीक से दाखिल नहीं किया और प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर और तिथि भी नहीं डाली।

प्रपत्र-26। बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है।

16. चुनाव याचिका के पैराग्राफ 3 में यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां उठाई थीं।

21 सेंट अप्रैल, 2014। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने श्री वी. श्रीरामी रेड्डी को आपत्तियों का जवाब देने के लिए अधिकृत किया था, जिन्होंने तब अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्तियों का जवाब केवल इनकार करके और इस बात पर जोर देकर दायर किया कि वे विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार थे और इसलिए, उन्हें अस्वीकार करने के लिए। चुनाव याचिका के पैराग्राफ 4 में, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही का संदर्भ दिया गया है कि उनके द्वारा आपत्तियों को कैसे खारिज किया गया था। तब यह दावा किया जाता है कि अस्वीकृति उन कारणों के लिए थी जो निर्वाचन अधिकारी को सबसे अच्छी तरह से पता था और अनिवार्य के विपरीत था

संग्रह निर्देश, खंड-2 [2018] 9 एस. सी. आर. के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को दिए गए चुनाव नियमों और शासी प्रावधानों और निर्देशों का संचालन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शपथपत्रों और रिक्त स्तंभों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में निर्वाचन अधिकारी (ओं) को आपूर्ति की गई। तब कहा जाता है कि

नामांकन प्रपत्र-26 में प्रासंगिक कॉलम खाली हैं। चुनाव याचिका के पैराग्राफ 5 में कहा गया है कि अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जो क्रमशः तीसरे पक्ष और काउंटर को दिया गया था। पैराग्राफ 6 में, यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने दूसरा सबसे अधिक वोट प्राप्त किया और प्रतिवादी नंबर 1 को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया गया। चुनाव लड़ने वाले 8 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या इस अनुच्छेद में दी गई है। पैराग्राफ 7 में यह बताया गया है भारत सरकार ने 1 अगस्त, 2012 को प्रकाशित अपने असाधारण राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की और चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 2012 के नियम 4ए के तहत प्रपत्र-26 में संशोधन किया। राजपत्र अधिसूचना के फुटनोट में, नोट-1 से नोट-4 दिया गया है जो निर्वाचन अधिकारी को दिए गए वैध प्रपत्र-26 को स्वीकार करने के लिए प्रासंगिक निर्देश हैं। उन टिप्पणियों को निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" ध्यान दें: 1 : शपथ पत्र अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक दाखिल किया जाना चाहिए।

नामांकन दाखिल करने का दिन।

ध्यान दें: 2 : शपथ पत्र को शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ लेनी चाहिए।

ध्यान दें: 3 : सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी वस्तु के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है,

या तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' जैसा भी मामला हो, होना चाहिए

उल्लेख किया है।

ध्यान दें: 4 : शपथ पत्र या तो टाइप किया जाना चाहिए या सुपाठ्य रूप से लिखा जाना चाहिए।

और साफ-सुथरे तरीके से "।

17. चुनाव याचिका के पैराग्राफ 8 में यह दावा किया गया है कि उपरोक्त सरकारी अधिसूचना के बाद, चुनाव आयोग

भारत सरकार ने सभी राज्य चुनाव आयोगों, राजनीतिक दलों को निर्देश देते हुए सं. 3/4/2012/एस. डी. आर. दिनांक 24.8.2012, अनुलग्नक-एक्स के साथ कार्यवाही जारी की।

पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और अन्य संगठनों को प्रपत्र-26 के अनुसार एकल शपथ पत्र का सख्ती से पालन करना होगा। 18. चुनाव याचिका के पैराग्राफ 9 में, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा है कि अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया था।

निर्वाचन अधिकारी, जिसके कारण निर्वाचन अधिकारी का निर्णय पुनरुत्थान भारत (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत था। अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय के अनुच्छेद 27 पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद यह दावा किया जाता है कि अनुच्छेद 27 की सामग्री को निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्रों के साथ वितरित किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 को इसके बारे में पता था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल नामांकन पत्रों के दोनों सेटों में प्रपत्र-26 के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं किए। नामांकन पत्रों के दो सेटों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर नामांकन पत्रों के दोनों सेटों के अंतिम पृष्ठ पर एक ही नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया था, और इसलिए हस्ताक्षर और खाली कॉलम को छोड़ना "तकनीकी गलतियों की प्रकृति में बिल्कुल भी नहीं है"। इस दावे के बाद पैराग्राफ 10 में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी को इस दावे को खारिज कर देना चाहिए था।

1951 के अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (आई) के तहत विचार किया गया। तब यह निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत था, जिसमें निर्वाचन सामग्री जैसे निर्वाचन अधिकारी के लिए पुस्तिका-2014, आम चुनाव-2014 शामिल हैं।

संग्रह निर्देश, खंड-2 और प्रपत्र-26 उनके द्वारा वितरित किए गए। इसके बाद यह दावा किया जाता है कि इसके बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 का नामांकन स्वीकार कर लिया, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 को चुनाव लड़ने और अंततः निर्वाचित होने में सक्षम बनाया। इस प्रकार निर्वाचन अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 8) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव की घोषणा इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग था। यह भी दावा किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने चुनाव आयोग के साथ-साथ निर्वाचन अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 8) को फॉर्म-26 में हलफनामों के दो सेटों में अचल संपत्तियों के विवरण के बारे में पैराग्राफ 7ए में गलत जानकारी देकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

रुपये. 3,00,67,680/- और जानबूझकर कॉलम राशि को Rs.21,00,000/- के 7 (vii) पर नहीं गिना।

19. चुनाव याचिका के पैराग्राफ 11 में, यह कहा गया है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किए गए दो सेटों वाले फॉर्म (फॉर्म-26) को चुनाव याचिका के आधारों के साथ चुनाव याचिका का हिस्सा माना जा सकता है। वास्तव में, आरेग्राफ 11 का प्रारंभिक भाग खुशी से नहीं लिखा गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से बताता है कि संबंधित उम्मीदवारों के अशुभ संकेत को चुनाव याचिका का हिस्सा माना जाएगा और उसके संदर्भ में, यह चुनाव याचिका का अभिन्न अंग बन जाएगा। आधारों को स्पष्ट किया गया है

पैराग्राफ 11 जो इस प्रकार है:

" मैदान

ए)। क्या 8वें प्रत्यर्थी ने चुनाव द्वारा प्रदान किए गए उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए संबद्ध अधिनियमों, नियमों, आदेशों, आदर्श आचार संहिता के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का अधिनियम 43) और 1951 का अधिनियम 43 को नजरअंदाज किया है।

चुनाव आयोग 284, पुंगनूर विधानसभा

निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार निष्पक्ष जांच करने में विफल

के नामांकन की निष्पक्ष जांच करते हुए कानून

कानून के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रपत्र-26?

बी)। क्या 8वें उत्तरदाता ने अनुचित की स्वीकृति दी है फोरम का नामांकन-विचार के बावजूद 26 आवेदन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (आई) के तहत कॉलम संख्या 8 (बी) (III) में प्रतिवादी संख्या 1 के हलफनामों के दो सेटों में से खाली कॉलम को घातक रूप से हटा दिया गया है, जहां कॉलम संख्या 8 (बी) (III) के भाग-बी में (11) के (1) से (10) में दिए गए विवरणों के सार में "लगभग वर्तमान बाजार मूल्य" शब्द हैं।

भाग-ए?

सी)। क्या उत्तरदाता नंबर 1 का चुनाव 284, पुंगनूर के लिए है

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को इस आधार पर अलग किया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 8/निर्वाचन अधिकारी ने अनुचित को स्वीकार कर लिया है।

नामांकन प्रपत्र फॉर्म-26 के माध्यम से हस्ताक्षर न करने की चूक के साथ हलफनामे का प्रत्येक पृष्ठ और भरने के लिए बरकरार नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के विपरीत रिक्त स्थान पुनरुत्थान भारत बनाम भारत का चुनाव आयोग

& एन. आर. , 2008 डीटी की रिट याचिका (सिविल) No.121 में आयोजित। 13.09.2013 ?

डी)। क्या खाली विवरणों के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 शपथ पत्र इस शपथ पत्र को निरर्थक बना देगा और मदिराजु वेंकट रामना राजू बनाम की धारा 125 ए (आई) द्वारा प्रभावित होगा।

पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 प्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

चुनाव? "

20. इन अभिवचनों के आधार पर, अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि

चुनाव याचिका में निम्नलिखित राहत दी गई है:

" 17. इन परिस्थितियों में यह प्रार्थना की जाती है कि इस माननीय न्यायालय को प्रसन्न किया जाए: क) 284 पुंगनूर विधानसभा क्षेत्र के लिए पेद्दीरेडिगरी रामचंद्र रेड्डी (प्रतिवादी संख्या 1) के चुनाव की घोषणा करें।

ग) याचिका की लागत का अधिनिर्णय करें। घ) और ऐसा अन्य आदेश या आदेश पारित करें जो वह उचित समझे और

मामले की परिस्थितियों में उचित "।

21. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि चुनाव याचिका को समग्र रूप से पढ़ना होगा और इसे वाक्य-वार या पैराग्राफ-वार विच्छेदित नहीं किया जा सकता है ताकि यह निर्णय दिया जा सके कि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है। कार्रवाई का कारण तथ्यों का एक समूह है जो वादी के लिए न्यायालय से राहत प्राप्त करने के लिए साबित करना आवश्यक हो सकता है। अपीलार्थी द्वारा दावा की गई राहतें अन्य बातों के साथ-साथ धारा के लिए उत्तरदायी आधारों पर आधारित हैं।

100 (1) (घ) (i)। अपीलार्थी को 1951 के अधिनियम की धारा 101 के तहत निर्वाचित घोषित करने के लिए और राहत का दावा किया गया है। इसका कारण

इसलिए, चुनाव याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई, प्रत्यक्ष रूप से उन भौतिक तथ्यों के संदर्भ में थी जो दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था।

22. चुनाव याचिका को समग्र रूप से पढ़ने पर, हमें यह विचार रखने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि चुनाव याचिका ने चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 के साथ या उसके बिना कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया है। वास्तव में, चुनाव याचिका की दलीलें सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए जिसमें कानून द्वारा आवश्यक सभी आवश्यक विवरण और विवरण होने चाहिए। 'भौतिक तथ्यों का अर्थ होगा सभी बुनियादी तथ्य जो [2018] 9 एस. सी. आर. के घटकों का गठन करते हैं।

चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए राहत के संदर्भ में चुनाव याचिका में बताए गए आधार। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक चुनाव याचिका में, क्या कोई विशेष तथ्य भौतिक है या नहीं और इस तरह से दलील देने की आवश्यकता है, एक ऐसा प्रश्न है जो आधारों की प्रकृति और मामले की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, पक्ष द्वारा स्थापित मामले का विवरण विशेष होता है। मोहन रावले बनाम के मामले में "भौतिक तथ्यों" और "पूर्ण विवरणों" के बीच अंतर को चित्रित किया गया है। दामोदर तात्याबा 3 0। इस फैसले में

पार्टियों द्वारा भरोसा किए गए रिपोर्ट किए गए निर्णय में विज्ञापित किया गया था। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

एक "। (पेरू गणराज्य बनाम देखें। पेरूवियन गुआनो Co.[31]) ए कार्रवाई के उचित कारण का अर्थ सफलता की कुछ संभावनाओं के साथ कार्रवाई का कारण कहा जाता है जब केवल अभिवचन में आरोपों पर विचार किया जाता है। लेकिन जब तक दावा किसी कारण का खुलासा करता है

कार्रवाई का या कुछ प्रश्न उठाते हैं जो एक द्वारा तय किए जाने के लिए उपयुक्त हैं

न्यायाधीश, केवल यह तथ्य कि मामला कमजोर है और इसकी संभावना नहीं है

सफलता इसे बाहर निकालने का कोई आधार नहीं है। निहितार्थ

जमीन पर खारिज किए जाने वाले अभिवचनों के दायित्व का कि यह कार्रवाई के किसी भी उचित कारण का खुलासा नहीं करता है

अक्सर स्पष्ट रूप से समझे जाने से अधिक ज्ञात। करता है।

एक नए आकार में एक और विशेष डिमरर पेश करें। द.

एक उचित कारण का खुलासा करने में अभिवचनों की विफलता

कार्रवाई पूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति से अलग है। द.

धारा 81 (1) में "आधार" के विचारों के बीच अंतर; धारा 83 (1) (ए) में "भौतिक तथ्यों" के और धारा 81 (1) में "पूर्ण विवरण" के बीच अंतर।

धारा 83 (1) (बी) स्पष्ट है। धारा 83 (1) (ए) और (बी) के प्रावधान आदेश VI, नियम 2 और 4 और आदेश 7, नियम 1 (ई) सिविल प्रक्रिया संहिता के परिचित पैटर्न में हैं। धारा 81 (1) में 'आधार'; धारा 83 (1) (ए) में 'भौतिक तथ्य' और धारा 83 (1) (बी) में 'पूर्ण विवरण' के बीच अंतर है।

11. अभिवचनों के महत्व का उल्लेख करते हुए एक विद्वान लेखक कहता है:

30 (1994) 2 एस. सी. सी. 392

31 (1887) 36 सी. एच. डी. 489 दिराजू वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दिरेड्डीगरीमच्छिंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" दलीलें न केवल मुकदमे में अदालत के अंतिम निर्णय के लिए पक्षों के बीच के मुद्दों को परिभाषित करती हैं, वे मुकदमे की पूरी प्रक्रिया में अपने महत्व को प्रकट और लागू करती हैं। वे अपने चेहरे पर दिखाते हैं कि क्या कार्रवाई या बचाव के उचित कारण का खुलासा किया गया है। वे परीक्षण के उचित तरीके के लिए और विशेष रूप से कानून या तथ्य के प्रारंभिक मुद्दों के परीक्षण के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। वे प्रदर्शित करते हैं कि सबूत का भार किस पक्ष पर है, और किसके पास मामला खोलने का अधिकार है। वे एक पक्ष के साक्षय की तुलना उस मामले से करने के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करते हैं जिसका उसने अनुरोध किया है। वे स्वीकार्य साक्षय की सीमा निर्धारित करते हैं जिसे पक्षकारों को मुकदमे में प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे उस राहत को सीमित करते हैं जिसे अदालत दे सकती है। ..... "

[देखिए: जेकब: दलीलों का वर्तमान महत्व (1960) वर्तमान कानूनी समस्याएं, पीपी पर। 175-76] .

12. इसके अलावा, "भौतिक तथ्यों" और "पूर्ण विवरणों" के बीच का अंतर एक डिग्री का है। भेद की रेखाएँ तीखी नहीं हैं। भौतिक तथ्य वे हैं जिन पर एक पक्ष निर्भर करता है और जो, यदि

वह साबित नहीं करता है, वह उस समय विफल हो जाता है। 13. ब्रूस वी. ओधम्स प्रेस Ltd.32 स्कॉट एल. जे. ने कहा: " 'सामग्री' शब्द का अर्थ है कार्रवाई के पूर्ण कारण को तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक; और यदि किसी एक 'सामग्री' कथन को छोड़ दिया जाता है, तो दावे का कथन गलत है। "भौतिक विवरण" का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का पर्याप्त विवरण देने और उसे एक उचित अवसर देने की आवश्यकता के संदर्भ में है।

14. हेल्सबरी विशिष्टताओं के कार्य को इस प्रकार संदर्भित करता है:

" विवरणों का कार्य इस प्रमुख सिद्धांत को लागू करना है कि पक्षों के बीच मुकदमेबाजी, और विशेष रूप से मुकदमा, निष्पक्ष रूप से, खुले तौर पर और बिना किसी आश्चर्य के, और संयोग से लागत को कम करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। यह कार्य विभिन्न प्रकार से कहा गया है, अर्थात् या तो अभिवचनों में आरोपों की व्यापकता को सीमित करने के लिए, या उन मुद्दों को परिभाषित करने के लिए जिनका परीक्षण किया जाना है और जिनके लिए खोज की आवश्यकता है।

(देखिए: प्लीडिंग्स वॉल्यूम। 36, पैरा 38)

6) 1 के. बी 697: (1936) 1 सभी ई. आर. 287 [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. बुलेन एंड लीक और जैकब की "प्रीसिडेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स" 1975 एडन में। पी पर। 112 यह कहा गया है:

कानून को जितना संभव हो उतना छिपाना था जो मुकदमे में साबित होने वाला था। 16. 'भौतिक तथ्यों' और 'विशिष्टताओं' के बीच का अंतर जो एक तरफ साबित किए जाने वाले तथ्यों का गठन करता है-या तथ्य-प्रोबंडा और दूसरी ओर वे साक्षय जिनके द्वारा उन तथ्यों को साबित किया जाना है-तथ्य-प्रोबेंटिया-को स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए। फिलिप्स वी। फिलिप्स 33, ब्रेट, एल. जे. ने कहा:

" मैं यह नहीं कहूंगा कि शब्दों में व्यक्त करना आसान है कि कौन से तथ्य हैं जो बताए जाने चाहिए और कौन से मामले बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। ..... यह अंतर नियम में ही लिया जाता है, उन तथ्यों के बीच जिन पर पक्ष निर्भर करता है और उन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्षय। एर्ले सी. जे. ने इसे इस तरह से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे तथ्य हैं जिन्हें रूपक प्रोबंदा कहा जा सकता है, जिन तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए, और वे उन साक्षयों से अलग थे जो उन तथ्यों को साबित करने के लिए पेश किए गए थे। और यह एर्ले सी. जे. की राय की अभिव्यक्ति पर था कि नियम 4 [अब नियम 7 (1)] तैयार किया गया था। जिन तथ्यों को बताया जाना चाहिए वे सामग्री हैं

जिन तथ्यों पर पक्ष की दलील निर्भर करती है।

17. विलियंस बनाम में लॉर्ड डेनमैन, सी. जे. विल्कोक्स 3 4 ने कहा:

" यह अभिवचन करने में एक प्राथमिक नियम है कि, जब तथ्यों की स्थिति पर भरोसा किया जाता है, तो इसे साबित करने के साधन गौण तथ्यों या साक्षय को निर्धारित किए बिना, केवल आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है।

आरोपों को कायम रखना "।

18. चुनाव याचिका को आदेश VII के तहत खारिज किया जा सकता है।

नियम 11 (ए) सी. पी. सी. यदि वह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है।

* 8) 4 क्यूबीडी 127,133

-8) 8 एड और ई. आई. 331 दिराजू वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दिरेड्डीगरीमच्छिंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आदेश VI नियम के तहत भी दलीलें खारिज की जा सकती हैं।

16 , अन्य बातों के साथ-साथ, यदि वे निंदनीय, तुच्छ या परेशान करने वाले हैं।

बाद के दो अभिव्यक्तियों का अर्थ ऐसे मामले थे जहां अभिवचन

स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाले या स्पष्ट रूप से हैं

अस्थिर "।

(जोर दिया गया)

23. हरकीरत सिंह (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय एक बार फिर

इस प्रकार मूल्यांकन किया गया:

" 46. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एक चुनाव याचिका

"भौतिक तथ्यों" का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। इसमें किसी भी विषय का "पूरा विवरण" भी होना चाहिए।

एक पूर्ण बयान सहित याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए भ्रष्ट व्यवहार जिन दलों पर इस तरह का भ्रष्टाचार करने का आरोप है, उनके नाम

अभ्यास और इस तरह के अभ्यास के कमीशन की तारीख और स्थान।

ऐसी चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सत्यापित किया जाएगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित तरीके से

(के सत्यापन के लिए इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित)

दलीलें। इसके साथ निर्धारित में एक शपथ पत्र होना चाहिए।

इस तरह की प्रथा और विवरण के आरोप के समर्थन में प्रपत्र

वहाँ से।

47. सभी भौतिक तथ्य, इसलिए, प्रावधानों के अनुसार

निर्वाचन याचिका में अधिनियम का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि सामग्री

याचिका में तथ्य नहीं बताए गए हैं, यह उस पर खारिज होने योग्य है। मामला के रूप में आधार उप-धारा के खंड (ए) द्वारा कवर किया जाएगा

(1) अधिनियम की धारा 83 के नियम 11 के खंड (ए) के साथ पढ़ा गया कोड का आदेश 7।

48. "भौतिक तथ्य" अभिव्यक्ति को न तो परिभाषित किया गया है।

अधिनियम में और न ही संहिता में। शब्दकोश के अनुसार

अर्थात्, "सामग्री" का अर्थ है "मौलिक", "महत्वपूर्ण", "मूल", " कार्डिनल "," केंद्रीय "," महत्वपूर्ण "," निर्णायक "," आवश्यक ",

बर्टन का कानूनी थीसॉरस (तीसरा संस्करण), पी। 349.] वाक्यांश " अतः भौतिक तथ्यों को वे तथ्य कहा जा सकता है।

जिस पर कोई पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए निर्भर करता है। अन्य में

शब्द, "भौतिक तथ्य" वे तथ्य हैं जिन पर वादी का [2018] 9 एस. सी. आर.

कार्रवाई का कारण या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है। क्या? विवरणों को "भौतिक तथ्य" कहा जा सकता है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक होने का कोई नियम नहीं है।

आवेदन किया जा सकता है। हालाँकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा मुकदमे में साबित किए जाने वाले सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य भौतिक तथ्य हैं और पक्ष द्वारा अभिवचन में बताए जाने चाहिए।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 51 और 52 में फिर से, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" भौतिक तथ्य "प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जो आवश्यक हैं। वादी या समर्थन में प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किया जाए

कार्रवाई या बचाव "। दूसरी ओर, "विवरण" हैं - पक्ष द्वारा अनुरोध किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण।

वे देकर भौतिक तथ्यों को बढ़ाते हैं, परिष्कृत करते हैं और सुशोभित करते हैं। एक चित्र की मूल आकृति के लिए विशिष्ट स्पर्श

पहले से ही तैयार किया गया है ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक बनाया जा सके

जानकारीपूर्ण "। इस प्रकार "विवरण" निष्पक्ष सुनवाई के संचालन को सुनिश्चित करते हैं

और विरोधी पक्ष को आश्चर्यचकित नहीं करेंगे।

52. समर्थन में पक्ष द्वारा सभी "भौतिक तथ्यों" का अनुरोध किया जाना चाहिए।

उसके द्वारा स्थापित मामले का। चूँकि उद्देश्य और उद्देश्य है

विरोधी पक्ष को यह जानने में सक्षम बनाएँ कि उसे किस मामले से मिलना है

साथ, अभिवाक के अभाव में, एक पक्ष को अनुमति नहीं दी जा सकती है

प्रमुख साक्षय। एक भी भौतिक तथ्य बताने में विफलता, इसलिए,

मुकदमे या याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। विशेष रूप से,

दूसरी ओर, मामले का विवरण है जो प्रकृति में है

सबूत एक पक्ष मुकदमे के समय नेतृत्व करेगा।

और फिर से पैराग्राफ 72 में, न्यायालय ने इस प्रकार उल्लेख किया:

" 72. हालाँकि, न्यायालय ने "सामग्री" के बीच अंतर किया।

तथ्य "और" विवरण "। अदालत के अनुसार, "सामग्री

तथ्य तथ्य हैं, यदि स्थापित हो जाता है तो याचिकाकर्ता को पता चलेगा राहत के लिए प्रार्थना की। परीक्षण यह है कि क्या न्यायालय कर सकता है

उन्होंने चुनाव के पक्ष में सीधा फैसला दिया है-मदिराजु वेंकट रामना राजू बनाम।

पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

याचिकाकर्ता यदि वापस नहीं आया था तो उम्मीदवार

के आधार पर चुनाव याचिका का विरोध करते हुए दिखाई दिया याचिका में बताए गए तथ्य "।

(जोर दिया गया)

24. अशरफ कोक्कुर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने व्याख्या को स्वीकार किया

एम. कमलम बनाम। वी. ए. सैयद मोहम्मद, 35 और जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार 3 6 और पैराग्राफ 21 में उल्लेख किया गया है कि अभिवचन

यह पता लगाने के लिए समग्र रूप से लिया जाना चाहिए कि क्या वे परीक्षण योग्य मुद्दों से जुड़े भौतिक तथ्यों का गठन करते हैं। पैराग्राफ 22 में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

" 22. आखिरकार, आदेश 7 नियम 11 (ए) सी. पी. सी. के तहत जांच केवल

इस बारे में कि क्या अनुरोध किए गए तथ्य कार्रवाई के कारण का खुलासा करते हैं और

कार्रवाई का पूर्ण कारण नहीं। सीमित जांच केवल

देखें कि क्या याचिका को बाहर फेंक दिया जाना चाहिए

सीमा। एक चुनाव याचिका में, धारा के तहत आवश्यकता

83 आर. पी. अधिनियम का एक सटीक और संक्षिप्त विवरण प्रदान करना है

भौतिक तथ्य। "भौतिक तथ्य" अभिव्यक्ति का स्पष्ट अर्थ है

विषय-वस्तु से संबंधित तथ्य और जिन पर भरोसा किया जाता है

चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा। यदि पार्टी साबित नहीं करती है

उन तथ्यों के अनुसार, वह मुकदमे में विफल रहता है।

(जोर दिया गया)

25. इसके बाद अदालत ने तीन लोगों के फैसले का विश्लेषण किया।

वी. एस. अच्युतानंदन बनाम के मामले में न्यायाधीश पीठ। पी. जे. फ्रांसिस 3 7, जिसमें यह देखा गया है कि एक चुनाव याचिका को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कथित भ्रष्ट

आचरण का पूरा विवरण निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, भौतिक तथ्य ऐसे प्राथमिक तथ्य हैं जिन्हें कार्रवाई के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा मुकदमे में साबित किया जाना चाहिए। इसने यह भी देखा है कि जब तक दावा कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा करता है या कुछ प्रश्न उठाता है जो एक द्वारा तय किए जाने के लिए उपयुक्त हैं न्यायाधीश, केवल यह तथ्य कि मामला कमजोर है और इसके सफल होने की संभावना नहीं है, इसे खारिज करने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, इस आधार पर खारिज किए जाने वाले अभिवचनों के दायित्व के निहितार्थ कि यह कार्रवाई के किसी भी उचित कारण का खुलासा नहीं करता है, आम तौर पर स्पष्ट रूप से समझे जाने से अधिक ज्ञात हैं और कार्रवाई के उचित कारण का खुलासा करने में अभिवचनों की विफलता।

36 (2013) 4 एस. सी. सी. 776 37 (1999) 3 एससीसी 737 [2018] 9 एस. सी. आर.

पूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति से अलग है। यह निर्णय पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी, 3 8 38 के मामले का भी समर्थन करता है जिसमें न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को याचिका को खारिज करने के अनुरोध पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है और केवल उन मामलों में बर्खास्तगी की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है जहां याचिका को सीधे पढ़ने पर कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया जाता है।

26. चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के वकील ने पेंडचाला वेंकट कृष्ण राव बनाम पोथुला रामा राव के फैसलों पर भरोसा किया है। (उपर्युक्त), विशेष रूप से सूचित निर्णय के अनुच्छेद 8-10,11 और 16।

उस मामले में, तथ्यों पर, न्यायालय ने पाया कि नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के आधार के संबंध में आवश्यक भौतिक तथ्यों का चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस बारे में स्पष्ट अभिवचन है कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष क्या आपत्तियां उठाई गईं और वह प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन को अस्वीकार नहीं करने में गलती क्यों कर रहा था।

27. चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के वकील ने सामंत एन. बालकृष्ण बनाम जॉर्ज फर्नांडीज के फैसले पर भी भरोसा किया। कोई शक नहीं।

यह निर्णय भविष्यवाणी करता है कि चुनाव याचिका एक वैधानिक कार्यवाही है न कि कानून में कार्रवाई या बराबरी में मुकदमा। इस प्रस्ताव पर कोई बहस नहीं हो सकती। साथ ही, हम सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (ए) के तहत आवेदन पर विचार करते समय चुनाव अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा इस स्तर पर अनुमेय जांच के दायरे के बारे में अनजान नहीं हो सकते हैं।

28. कुलदिप सिंह पठानिया (ऊपर) में, उच्च न्यायालय का निर्णय जो विचाराधीन निर्णय (अर्थात् विवादित) के समान है।

निर्णय) ने प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सावधानीपूर्वक निपटा था कि याचिका में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था क्योंकि इसमें भौतिक तथ्यों की कमी थी। उच्च न्यायालय ने आदेश XIV नियम 2 के तहत कथित रूप से शक्ति का प्रयोग करते हुए वह आदेश पारित किया। इस न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 के तहत कार्रवाई के कारण का खुलासा न करने के लिए चुनाव याचिका को सीमित रूप से अस्वीकार करने के आदेश और प्रारंभिक मुद्दे पर याचिका के निपटारे के लिए आदेश XIV नियम 2 के तहत एक आदेश के बीच अंतर की ओर इशारा किया। उस मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल आदेश VII नियम 11 से संबंधित था। इस न्यायालय ने मायार (एच. के.) के फैसलों को स्वीकार किया। लिमिटेड और ओआरएस। बनाम मालिक और पक्षकार

38 (2012) 7 एस. सी. सी. 788

39 (1969) 3 एस. सी. सी. 238 मदिराजु वेंकट रमण राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पोत एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस और अन्य। " 40 ओ और विरेन्द्र नाथ गौतम बनाम सतपाल सिंह और अन्य। , 41 41 और स्पष्ट किया कि आदेश VII के तहत नियम 11 (ए), केवल वादी-याचिकाकर्ता की दलीलों को एक सीमा मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है। जबकि, दोनों पक्षों की पूरी दलीलें हो सकती हैं

आदेश XIV नियम 2 के तहत प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किया गया। अधिनियम के आदेश VII नियम 11 (ए) के संदर्भ में चुनाव याचिका की अस्वीकृति के लिए सीमा मुद्दे का जवाब देने के लिए न तो लिखित बयान और न ही विरोधी पक्ष द्वारा किए गए कथन या मामले को ध्यान में रखा जा सकता है।

29. क्या अपीलार्थी द्वारा प्रतिपादित भौतिक तथ्य ऐसा कर सकते हैं

परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरना और क्या अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव की घोषणा करने के लिए आधार घर लाने में सक्षम होगा

शून्य, इस स्तर पर बहस करने का विषय नहीं है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि चुनाव याचिका के संबंधित पैराग्राफ में किए गए कथन को किसी भी मानक से तुच्छ और परेशान करने वाला नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर अपीलार्थी द्वारा उसके समर्थन में आग्रह किए गए तथ्यों और आधारों की स्थिरता में प्रवेश करने में स्पष्ट त्रुटि की, जैसा कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 16 से 22 में दिए गए तर्क से स्पष्ट है।

30. इस बिंदु पर अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। द.

उच्च न्यायालय ने राय दी है कि चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 की सामग्री "कोई" भौतिक तथ्य प्रस्तुत नहीं करती है, लेकिन केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र को स्वीकार करते समय अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्तियों को अनुचित रूप से खारिज करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के आदेश को पूरा करने और बदनाम करने की प्रकृति में थी। उच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से चुनाव याचिका के संबंधित अनुच्छेदों की सामग्री का उल्लेख किया, लेकिन उस ओर से उच्च न्यायालय का विश्लेषण सही नहीं है। हमने चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 की सामग्री के बारे में विस्तार से बताया है। हम अपीलार्थी के तर्क में बल पाते हैं कि उक्त पैराग्राफ स्पष्ट रूप से तथ्यों का खुलासा करते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर (प्रतिवादी संख्या 8) द्वारा उनके नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधारों पर निर्णय लेने के लिए भौतिक तथ्य हैं। समझदारी से;

(i) निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट आपत्तियों के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया है।

40 40 (2006) 3 एससीसी 100 41 (2007) 3 एससीसी 617 [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 35, चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 4 ए के विपरीत और रिसर्जेंस इंडिया में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत भी है।

(ऊपर)।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 1 शपथ पत्र (प्रपत्र No.26) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने में विफल रहा, जो अध्याय 5.20 के तहत सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, चुनाव नियमों के संचालन और निर्वाचन अधिकारी की हैंड बुक-2014 का उल्लंघन है। 1 . (iii) उत्तरदाता संख्या 1 कॉलम संख्या 4 और कॉलम भरने में विफल रहा।

आय कर में दर्शाई गई कुल आय के शीर्ष के तहत संख्या 2

उक्त शपथपत्र की वापसी (प्रपत्र No.26)।

(iv) हलफनामे के उक्त दो सेटों का कॉलम संख्या 6 नहीं दिया गया है।

ठीक से बंद कर दिया गया, जो भी लागू न हो।

(v) कॉलम संख्या 8 (बी) (III), जहां शब्द उक्त शपथपत्रों के भाग ए के (1) से (10) में दिए गए विवरण के 11 सार के भाग-बी में "अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य" के लिए हैं, जो चुनाव नियमों, इस न्यायालय के निर्णयों और निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी परिपत्र और निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। (vi) उक्त शपथपत्रों में छोड़ी गई चूक और खाली कॉलम बिल्कुल भी तकनीकी गलती नहीं हैं। उत्तरदाता नंबर 1 बहुत था

उक्त नियमों और कानून के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।

(vii) निर्वाचन अधिकारी ने कथित नियमों और कानून का पालन नहीं किया, और प्रत्यर्थी संख्या 1 का पक्ष लेते हुए उनके द्वारा दायर अनुचित नामांकन/हलफनामे को स्वीकार कर लिया, जिससे वह चुनाव लड़ने में सक्षम हो गया, जो इस न्यायालय (पुनरुत्थान भारत) के फैसले के आलोक में कानून की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है।

(viii) निर्वाचन अधिकारी (आर-8) को प्रतिवादी संख्या के अनुचित नामांकन को अस्वीकार कर देना चाहिए था। 1 धारा के तहत विचार के अनुसार सीमा पर 21.04.2014 पर ही

100 (1) (घ) (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम।

(ix) प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अचल मदिराजु वेंकट रामना राजू बनाम के विवरण के पैरा 7 ए में गलत जानकारी देकर निर्वाचन आयोग के साथ-साथ निर्वाचन अधिकारी (आर-8) को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रपत्र-26 के तहत हलफनामों के उनके दो सेटों में परिसंपत्तियों ने 680 के बजाय 680 रुपये का सकल कुल मूल्य दिखाया और जानबूझकर कॉलम राशि को Rs.21,00,000/- के 7 (vii) पर नहीं गिना।

(x) उत्तरदाता के नामांकन पत्र के दो सेटों का फॉर्म No.26

नं. 1 को याचिका में उल्लिखित आधारों के साथ चुनाव याचिका के अभियोजन के लिए अनुलग्नक-XIII के रूप में पढ़ा जाए। चुनाव याचिका के पैरा 11 के आधार पर, अपीलार्थी ने इन दलीलों को फिर से उत्तेजित किया है।

31. निर्विवाद रूप से, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता के मामले में दोहराया गया है

पुनरुत्थान भारत (ऊपर)। यह माना जाता है कि जब कोई उम्मीदवार एक फाइल करता है

खाली विवरण के साथ शपथ पत्र स्वयं को निरर्थक बनाता है।

इस प्रकार, शपथ पत्र दाखिल करने का उद्देश्य (फॉर्म No.26)

नामांकन पत्र नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, जो अपने मतदान का विकल्प चुनने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार की आवश्यक जानकारी रखने के हकदार हैं। में।

इस फैसले के पैराग्राफ 25 और 26 में अदालत ने स्पष्ट किया कि पीपुल्स यूनियन में फैसले के पैराग्राफ 73 में की गई टिप्पणियाँ

सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के लिए, 42 नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रास्ते में नहीं आएगा यदि उक्त हलफनामा खाली कॉलम के साथ दाखिल किया जाता है। इसने आगे कहा कि उम्मीदवार को यह करना चाहिए

धारा 36 के तहत शक्तियों के प्रयोग में नामांकन की जांच के दौरान (6) 1951 के अधिनियम का अमान्य नामांकन पाया गया और धारा द्वारा प्रभावित किया गया

125 - 1951 के अधिनियम का ए (आई)। निर्णय के अनुच्छेद 27 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 27. यदि हम भारत संघ द्वारा उठाए गए विवाद को स्वीकार करते हैं। जिस उम्मीदवार ने गलत जानकारी के साथ हलफनामा दायर किया है और साथ ही जिस उम्मीदवार ने खाली रखे गए विवरणों के साथ हलफनामा दायर किया है, उसे समान माना जाना चाहिए, इसके

परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। “ जानने का अधिकार ", जिसमें स्वतंत्रता शामिल है

42 42 (2003) 4 एस. सी. सी. 399 [2018] 9 एस. सी. आर.

भाषण और अभिव्यक्ति जैसा कि एसोसिएशन में व्याख्या की गई है। लोकतांत्रिक के लिए

सुधार "।

निर्णय के पैराग्राफ 29 में व्यक्त किए गए निष्कर्ष और निर्देश:

" 29. उपरोक्त चर्चा से जो सामने आता है वह यह हो सकता है -

निम्नलिखित दिशाओं के रूप में संक्षेपित:

नामांकन पत्र दाखिल करने का समय और उस उद्देश्य के लिए, निर्वाचन अधिकारी एक उम्मीदवार को प्रस्तुत करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मजबूर कर सकता है प्रासंगिक जानकारी।

29.3 . खाली विवरणों के साथ शपथ पत्र दाखिल करने से शपथ पत्र निरर्थक हो जाएगा।

29.4 . यह जाँचना निर्वाचन अधिकारी का कर्तव्य है कि क्या

आवश्यक जानकारी उस समय पूरी तरह से प्रस्तुत की जाती है जब नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल करने के बाद से

जानकारी के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है नागरिकों के बारे में जानते हैं। यदि कोई उम्मीदवार रिक्त स्थान भरने में विफल रहता है

निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुस्मारक के बाद भी,

नामांकन पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है। हम यह समझते हैं कि नामांकन पत्र को अस्वीकार करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति का उपयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

इतना ऊँचा रखा गया है कि न्याय स्वयं पूर्वाग्रहपूर्ण है। 29.5 . हम इस हद तक स्पष्ट करते हैं कि पीपुल्स यूनियन का पैरा 73

सिविल लिबर्टीज के लिए मामला रास्ते में नहीं आएगा

निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र अस्वीकार करने के लिए जब

शपथ पत्र खाली विवरणों के साथ दाखिल किया जाता है।

मदिराजु वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

29.6 . उम्मीदवार को न्यूनतम प्रयास करना चाहिए स्पष्ट रूप से "शून्य" या "लागू नहीं" या "नहीं" के रूप में टिप्पणी करें

कॉलम में जाना जाता है और विवरण नहीं छोड़ना है

खाली। 29.7 . रिक्त स्थान के साथ शपथ पत्र दाखिल करने पर सीधा असर पड़ेगा

आर. पी. अधिनियम की धारा 125-ए (आई)। हालांकि, नामांकन के रूप में

कागज स्वयं निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, हम नहीं पाते हैं

उम्मीदवार को फिर से क्यों दंडित किया जाना चाहिए

उस पर मुकदमा चलाकर वही कार्य "।

(जोर दिया गया)

32. चुनाव याचिका में किए गए दावों का उद्देश्य था -

प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव को निर्वाचन अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 8) द्वारा उनके नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण अमान्य घोषित करने के लिए आधार के समर्थन में इस पहलू को उजागर करें।

33. इसे अलग तरह से रखने के लिए, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

दोनों अनुप्रयोगों पर विचार करना, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से गलत है, यदि विकृत नहीं है। के लिए, यह विश्लेषण के क्षेत्र में प्रवेश किया है मैटर ऑन मेरिट। यह इस स्तर पर एक निषिद्ध क्षेत्र है। चूंकि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पैराग्राफ 2 में अभिवचन

और चुनाव याचिका के 9 से 11 तक तुच्छ हैं और परेशान करने वाले असमर्थनीय हैं, यह आवश्यक रूप से इस बात का पालन करेगा कि चुनाव याचिका, जैसा कि दायर किया गया है, उसमें से किसी भी हिस्से को घटाए बिना समग्र रूप से जांचना होगा। यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो यह दृष्टिकोण रखना संभव नहीं है कि यह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है। इस निष्कर्ष पर, आवेदन द्वारा पसंद किया गया

उत्तरदाता नं। 1 आदेश के तहत सीमित सीमा में चुनाव याचिका की अस्वीकृति के लिए

VII नियम 11 को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे विफल भी होना चाहिए।

34. प्रतिवादी संख्या 1 की एकमात्र अन्य याचिका जिसमें जाँच की आवश्यकता है।

चुनाव याचिका में इस कथन की अनुपस्थिति के बारे में है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण, यह है

प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव परिणामों को भौतिक रूप से प्रभावित किया। यहां तक कि इस तर्क को भी हमें एम. पृथ्वीराज (ऊपर) में इस न्यायालय के हाल के फैसले में स्पष्टीकरण के आलोक में नहीं रोकना चाहिए। के लिए, दुरई मुथुस्वामी बनाम एन. नचियप्पन और अन्य का मामला। , 43 इस निर्णय में यह देखा गया है कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मामले में, यदि 2 से अधिक उम्मीदवार हैं और

पराजित उम्मीदवारों में से एक को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, एक सवाल

इस बारे में उत्पन्न हो सकता है कि क्या लौटने वाले के चुनाव का परिणाम

इस तरह के अनुचित स्वागत से उम्मीदवार भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। स्वयं "लौटे हुए उम्मीदवार" के चुनाव को चुनौती देने के मामले में उनकी अनुचित स्वीकृति के आधार पर ऐसा नहीं होगा। नामांकन। एम. पृथ्वीराज (ऊपर) में फैसले के पैराग्राफ 23 में, दुरई मुथुस्वामी (ऊपर) में व्याख्या का विश्लेषण करने के बाद, अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 23. दुरई मुथुस्वामी में उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है

कि एक की अनुचित स्वीकृति के बीच अंतर है

वापस लौटे उम्मीदवार का नामांकन और अनुचित स्वीकृति किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन। एक अंतर भी है

उन मामलों के बीच जहां केवल दो उम्मीदवार मैदान में हैं

और ऐसी स्थिति जहाँ दो से अधिक उम्मीदवार हों चुनाव लड़ें। यदि किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन

लौटने वाले उम्मीदवार की तुलना में अनुचित रूप से पाया गया है

स्वीकार किया, यह आवश्यक है कि चुनाव याचिकाकर्ता को अभिवचन करना होगा

और यह साबित करें कि ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मत उनके पक्ष में मतदान किया गया है। दूसरी ओर, यदि

नामांकन की अनुचित स्वीकृति लौटाई गई है।

भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है क्योंकि लौटाया गया उम्मीदवार नामांकन होने पर चुनाव नहीं लड़ पाए हैं

स्वीकार नहीं किया गया। प्रतिवादी के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है

चुनाव का वह परिणाम जहाँ तक यह वापसी से संबंधित है

अनुचित स्वीकृति से उम्मीदवार भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है उनके नामांकन के लिए क्योंकि केवल दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे

चुनाव और यदि अपीलार्थी का नामांकन घोषित किया जाता है

अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया, उनके चुनाव को दरकिनार करना होगा बिना किसी आगे की जांच के और एकमात्र उम्मीदवार मैदान में छोड़ दिया गया

निर्वाचित घोषित होने का हकदार है।

(जोर दिया गया)

35. अदालत ने तब नोट किया कि दुरई मुथुस्वामी में निर्णय

(उपर्युक्त), का अनुसरण जगजीत सिंह बनाम धरम पाल सिंह और अन्य में किया गया है। 44. इस न्यायालय ने तब वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंद्र और Ors.45, पैराग्राफ 9 में अपने पहले के फैसले को स्वीकार किया। वह तो है एम. पृथ्वीराज (ऊपर) में फैसले के पैराग्राफ 25 में निकाला गया है।

44 (1995) पूरक (1) एस. सी. सी. 422 45 (1955) 1 एस. सी. आर. 509 = ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 513 मदिराजु वेंकट रमण राजू बनाम।

पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

36. दुनिया चंद (ऊपर) में, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या उसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र था निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार किया गया। यह देखा गया कि यदि

निर्वाचन अधिकारी ने अपीलार्थी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था

उसमें जांच के समय अस्वीकृति का आदेश वैध होता। नतीजतन, अपीलार्थी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता था और उसके लिए निर्वाचित होने का कोई अवसर नहीं होता। इसलिए, यह होगा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके नामांकन की अनुचित स्वीकृति ने अनिवार्य रूप से चुनाव के उनके परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।

37. दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 ने मंगनी लाल मंडल (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा किया है। इस मामले में चुनाव धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत आधार का आह्वान करके चुनौती दी गई थी और उस संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि यह चुनाव के लिए आवश्यक था

याचिकाकर्ता को भौतिक तथ्यों का अनुरोध करने के लिए कि जहां तक चुनाव के परिणाम का संबंध है, लौटने वाले उम्मीदवार को इस तरह के पालन या गैर-पालन से भौतिक रूप से प्रभावित किया गया है। वर्तमान मामले में, नामांकन की अनुचित स्वीकृति के आधार का आह्वान करके चुनाव को चुनौती दी जाती है धारा 100 (1) (डी) (आई) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1-लौटे उम्मीदवार। यहां तक कि दूसरा मामला यानी शंभू प्रसाद (उपरोक्त), जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भरोसा किया है, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। उस मामले में, 22 उम्मीदवारों ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से चुनाव के अलावा केवल 17 उम्मीदवार मैदान में बचे थे

याचिकाकर्ता, ऐसे 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लेने के बाद। उत्तरदाता नंबर 1 और उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी करुणा शुक्ला के बीच जीत का अंतर 20,000 से अधिक था। उस मामले में अपीलार्थी को 21,000 वोट मिले थे। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर कर अपने निर्वाचित होने की घोषणा की मांग की। विशेष रूप से, चुनाव को अमान्य घोषित करने का आधार लौटने वाले उम्मीदवार के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण नहीं था, बल्कि अन्य पराजित उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति के कारण था। 38. पैराग्राफ पर विशेष जोर देते हुए विद्वान वकील ने एल. आर. शिवरामगौड़ा (ऊपर) से भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

10 और 11, जिसमें न्यायालय ने कहा कि धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत एक चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए चुनाव याचिकाकर्ता के लिए यह अभिवचन करना बिल्कुल आवश्यक है कि चुनाव का परिणाम जहां तक वह [2018] 9 एस. सी. आर. है।

वापस लौटे उम्मीदवार की चिंताएँ भौतिक रूप से प्रभावित हुई हैं। वर्तमान मामले में, चुनाव याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1-वापस किए गए नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के आधार के संदर्भ में है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाता है, यह आवश्यक रूप से होगा कि लौटे उम्मीदवार का चुनाव परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। 39. प्रत्यर्थियों ने तब तर्क दिया था कि चुनाव याचिकाकर्ता को एक नया आधार या कारण लाने या पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

चुनाव के परिणाम की घोषणा के 45 दिनों की सीमा अवधि से परे कार्रवाई। हम इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। हमारी राय में, इस विवाद को पहले उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण दर्ज किए इसका निपटारा कर दिया है चुनाव याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) द्वारा चुनाव याचिका के रूप में दायर आवेदनों को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था। चूँकि चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहाल की जाएगी, इसलिए चुनाव याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी उच्च न्यायालय द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर सुनवाई और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए बहाल किए जाएंगे। नतीजतन, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस मामले में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए निर्णय पर विस्तार करें

हरमोहिंदर सिंह (ऊपर)। हम इस विवाद को उचित स्तर पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ते हैं।

40. इसलिए, मामले के किसी भी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, द्वारा दायर दोनों आवेदनों को अनुमति देने में उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय

उत्तरदाता नं। 1 न्यायिक जांच की कसौटी पर नहीं टिक सकते। क्योंकि, हम प्रत्यर्थी संख्या 1 की याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि चुनाव याचिका के पैराग्राफ 2 और 9 से 11 तुच्छ और परेशान करने वाले हैं, जो विवाद गलती से उच्च न्यायालय में सराहा गया है। दूसरी ओर, हमारी सुविचारित राय है कि विषय चुनाव याचिका स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव को उनके नामांकन की अनुचित स्वीकृति के आधार पर अमान्य घोषित करने के लिए चुनाव याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है। 41. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह नहीं समझा जा सकता कि हमने उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले अन्य मुद्दों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है। दूसरे शब्दों में, हमारा विश्लेषण इस निर्णय में दलीलों को रद्द करने और चुनाव याचिका को सीमित रूप से अस्वीकार करने के बारे में विचार किए गए सीमा मामले तक सीमित है।

मदिराजु वेंकट रामना राजू बनाम। पेद्दीरेड्डीगरी रामचंद्र रेड्डी और हमारा। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

43. जहाँ तक उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन का संबंध है, उसे इस आदेश के संदर्भ में निपटाया गया माना जाए। 1951 के अधिनियम की धारा 86 (7) में चुनाव याचिका के शीघ्र निपटारे की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है। उक्त प्रावधान के अनुसार, चुनाव याचिका की सुनवाई का निपटारा अधिमानतः चुनाव की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के समक्ष इसकी प्रस्तुति। इसके अलावा, मोहम्मद के मामले में यह अदालत। अकबर (ऊपर) ने संसद द्वारा व्यक्त पवित्र आशा को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इसलिए, हम केवल उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि इस निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर चुनाव याचिका का शीघ्रता से निपटान किया जाए।

इससे पहले कोई भी पार्टी।

44. तदनुसार, इन अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।